

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल

हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग आसानी से बिना किसी कोलेटरल के लोन हासिल कर सकेंगे लोन की रकम पर वसूला जाने वाला ब्याज का 2 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। पोर्टल के माध्यम से आवेदको को तीन प्रकार के लोन दिए जा सकेंगे। इसमें पहला है डिफरेशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना, दूसरा शिशु लोन (मुद्रा योजना) और तीसरा है शिक्षा लोन। अगर आप भी इस पोर्टल के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं और खुद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यह विकल्प अब खोल दिया गया है।

योग्यता

- ❖ आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- ❖ सभी स्रोतों से आवेदक की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 18000/- रूपए प्रतिवर्ष और शहरी / अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय 24000/- रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ❖ आवेदक जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है।
- ❖ लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए जबकि डीआरआई ऋण मौजूद है।
- ❖ आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए या उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- ❖ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- ❖ आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र

आवेदन के लिए लिंक - <https://atmanirbhar.haryana.gov.in/frontend/web/>